International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 10 Issue 4, Ser. II ||April, 2021 || PP. 67-71

महिला श्रम की सामाजिक एवम आर्थिक स्थिति

धर्मेंद्र कुमार

न०ऊ० मा०शिक्षक ,

अनुग्रह कन्या उच्चतर, माध्यमिक विद्यालय, गया

किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास का प्रभावशाली माध्यम शिक्षा और श्रम है। शिक्षा और श्रम के अभाव में समाज का कल्याण एवं समृद्धि को प्राप्त करना संभव नहीं है। शिक्षा एवं श्रम के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और इसके द्वारा ही सामाजिक सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को अर्थात स्त्री व पुरुष दोनों को शिक्षा व श्रम के समान अवसर प्रदान करें। शिक्षा एवं श्रम को सामाजिक यंत्र के रूप में स्वीकार करने वाले शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह और भी अनिवार्य हो जाती है।आज विश्व के सभी राष्ट्रों में शिक्षा व श्रम के प्रति जन जागृति उत्पन्न हो चुकी है अब लगभग सभी राष्ट्र इसका महत्व मानने लगे हैं।

भारत एक पुरातन देश है। वैदिक काल से लेकर आज तक इस देश की सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परंपरा रही है। इस देश के सांस्कृतिक मूल्य सदैव से ही उच्च रहे हैं। भारतीय समाज का निर्माण विभिन्न संस्कृतियों के सहयोग से ही हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश की चुनौतियों का सामना करने तथा जनमानस की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर श्रम व्यवस्था में समय–समय पर परिवर्तन लाने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए गए। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो यहां की सामाजिक दशा अत्यंत सोचनीय थी बाल विवाह, बेमेल विवाह, तथा बहु विवाह का विशेष प्रचलन था। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। वे केवल दासी मात्र मानी जाती थी। उनका क्षेत्र घर की दीवारों तक सीमित था। यद्यपि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए किंतु वे प्रयास अपर्याप्त रहे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा।सरकार ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए तलाक, विधवा विवाह, तथा दहेज प्रथा, विरोधी कानूनों का निर्माण किया है। अब स्त्रियां पूर्व की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करती हैं।

भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्री को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना पुरुष को । यह सिद्ध सत्य है कि यदि माता शिक्षित नहीं होगी तो देश की संतानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता संस्कृत में यह उक्ति प्रसिद्ध है– नास्ति विद्यासमं चक्षुनार्नसित मात्र समोगुरु। अर्थात दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है। यह बात पूरी तरह सच है। किसी भी व्यक्ति का प्रथम गुरु उसकी मां ही होती है। अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा किसी भी पुरुष की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक नए समाज की रूपरेखा तैयार करने में महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से 100 गुना अधिक उपयोगी है। यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद सभी सरकारों ने शिक्षा के विकास हेतु अनेक सार्थक कदम उठाए हैं। स्त्री शिक्षा की दिशा में भी कुछ विशेष प्रयास किए

गए हैं। किंतु इन सब के बावजूद आज ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विवाहित महिलाओं की शिक्षा की स्थिति दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित महिलाएं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आतुर रहती हैं। किंतु उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।महिलाओं को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करते देखा जा सकता है। अभी भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। वह स्त्रियों को अपने समकक्ष देखना पसंद नहीं करता है।

आज संपूर्ण विश्व स्तर पर देखा जाए तो लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं धन अर्जन हेतु कार्य करती हैं। यह प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में ही कई देशों में महिला श्रम में वृद्धि के कारण रोजगार में महिला पुरुषों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी पर हाल ही में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017– 2018 के मुताबिक देश में आजादी के 7 दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक हो गई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नौकरियों में अभी भी पुरुषों से पीछे हैं।भारत जैसे विकासशील देश में महिला श्रम बल भागीदारी को देखने से देश के तीव्र विकास कर सकने की क्षमता का संकेत मिलता है। भारत में हालांकि महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मौजूदा समय में कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भारत दुनिया के सबसे निचले स्थान पर है इसके प्रमुख कारण निम्न है

1– आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान नहीं दिया जाता है।

2– महिलाओं को घर से बाहर जाकर कार्य करने की इजाजत समाजव परिवार द्वारा नहीं दी जाती।

3– कार्यक्षेत्र में असुरक्षा की भावना अर्थात पर्याप्त सुरक्षा प्रावधानों का अभावहै।

4– श्रम के मूल्य में भेदभाव अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन देना।

5– ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का अभाव एवं अनुकूल नौकरियों का अभाव।

6– महिलाओं द्वारा अवैतनिक घरेलू श्रम करना।

7– युवा लड़कियों पर घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध।

8– कम उम्र में कन्याओं का विवाह कर देना।

9– महिलाओं में शिक्षा के प्रति चेतना का अभाव।

10– शैक्षणिक सुविधाओं की कमी।

11– परिवार द्वारा लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना।

12– छोटी उम्र में मां बनने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना।

कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति और जीवन शैली में सुधार बहुत मंद गति से हो रहा है. कामकाजी महिलाओं का प्रत्येक समाज में एक विशेष स्थान होता है। किंतु पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हालांकि कामकाजी महिला श्रम शक्ति तीव्र गति से बढ़ रही हैं। फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाश्रम की सहभागिता कुछ क्षेत्रों में काफी कम

है।भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। महिलाओं के बल पर आज भी अनेकों परिवारों की रोजी–रोटी चल रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के 35 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं। यह परिवार महिलाओं की श्रम कमाई पर आश्रित है। उत्पादन कार्य से जुड़ी महिलाएं श्रम बेचने, श्रम देने, एवं आर्थिक उत्पादन पर निर्भर गरीब परिवार महिलाएं हैं। आज भी दुनिया में समान मजदूरी की लड़ाई एवं शोषण से मुक्ति की लड़ाई जारी है। गरीब परिवार की महिलाओं को आज भी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम आय प्राप्त होती हैं। कम पैसे में ज्यादा श्रम देने वाला आज कोई वर्ग है वह महिला वर्ग है।

21वीं सदी में भारत में सरकारी विभाग, हर प्रतिष्ठान, हर संस्थान, बाजार, स्वास्थ्य क्षेत्र, घर परिवार, हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की मांग बढ़ी है। सरकारी नौकरी करने वाली कुछ महिलाओं को छोड़ दें तो ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों में पानी, ईधन, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का अभाव है। यौन उत्पीड़न हर क्षेत्र में व्याप्त है। ठेकेदार, कुली, मिस्त्री, व अन्य सहकर्मी श्रमिक लड़कियों, महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। गरीबी, डर, जानकारी का अभाव व लोकलाज के कारण यह बातें अधिक सामने नहीं आ पाती हैं।

जहां तक असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में होता है। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। जबकि संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं इन क्षेत्रों का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ–साथ जनकल्याण करना भी होता है। असंगठित क्षेत्र मूलताः गांव से संबंधित है। इसमें अधिकांश वे लोग आते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं। इसके अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में वे सारे संस्थान आते हैं जो 1948 के फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं प्रायः घरेलू नौकरानी का कार्य करती हैं उनके गरीब मां–बाप उन्हें उधार पैसे के बदले जमानत के तौर पर दे देते हैं जहां लड़कियों को बंधक मजदूर के रुप में काम करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग तथा उत्तर पूर्वी भारत में चाय के बागान में 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां बड़े पैमाने पर कार्य करती हैं। बालिका मजदूरों के बीच कबाड़ बीनना, निर्माण कार्य तथा ईट ढोने का काम काफी प्रचलित है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लड़कियां जानवरों को चराती हैं जिसका उन्हें प्रति जानवर के हिसाब से प्रतिमाह भुगतान भी दिया जाता है। दक्षिण भारत में हथकरघा उद्योग तथा अन्य ग्रह आधारित उद्योग में भी भारी संख्या में लड़कियां काम करती हैं। केरल चेन्नई तथा कन्या कुमारी व अन्य मत्स्य क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ पारिवारिक श्रम के रूप में कार्य करतीं हैं।

श्रम की कार्य स्थिति– महिला श्रम की कार्य परिस्थितियां अकसर प्रतिकूल तथा हानिकारक रही है। जिन परिस्थितियों में वेकार्य करती हैं वह अमानवीय तथा जोखिम पूर्ण होती हैं। एक बहुत बड़ा प्रतिशत बंधुआ मजदूरी का है। महिलाओं का शारीरिक मानसिक तथा यौन शोषण आम बात है। कारखानों में अक्सर महिलाओं को रासायनिक धूल धुआ आदि से प्रदूषित वातावरण में कार्य करना पड़ता है जिससे महिलाएं दमा, आंखों में जलन, अवरुद्ध विकास, तपेदिक, कैंसर,व संक्रामक रोग जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं।

लोक सभा की स्थाई समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक को प्रस्तुत किया उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं–

1– इस विधेयक में उन महिला श्रमिकों को श्रमिक नहीं माना है जिन्हें वेतन मजदूरी या बाजार से मुनाफा नहीं मिलता है।

2– विधेयक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण निधि स्थापित करता है। परंतु इस निधि का प्रशासन एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी अंतिम निर्णय के अधिकार सरकार को ही हैं।

3 विधेयक में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन के प्रावधान हैं।

4– सभी असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना होगा इसके लिए वह स्वयं आवेदन करेगा।

5– यह विधेयक असंगठित श्रमिकों को आजीविका, नियोजन, जल, जमीन, स्वयं का घर आदि के सामाजिक सुरक्षा अधिकार नहीं देता है।

इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए संपूर्ण विश्व एवं भारत देश के नीति निर्माताओं को महिलाओं के श्रम एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिणामों में सुधार हेतु एक वृहद दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

- इसके लिए नीति निर्माताओं को यह देखना होगा कि महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल विकास, शिशु देखभाल की व्यवस्था, मातृत्व सुरक्षा, सुगम एवं सुरक्षित परिवहन, व रोजगार अवसरों को देने की आवश्यकता है।
- महिलाओं की पकड़ बेहतर रोजगार व स्वरोजगार तक हो।
- लैंगिक असमानता को दूर करने एवं महिलाओं को सक्षम बनाने वाले नीतिगत ढांचे का निर्माण हो।
- महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने का व्यापक इंतजाम हो।
- स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- श्रम कानूनों का पालन कड़ाई से होना चाहिए।
- महिला व पुरुष का भेदभाव समाप्त करने का व्यापक दृष्टिकोण हो।
- निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को श्रम का उचित मानदेय अथवा वेतन दिलवाने की सरकार द्वारा गारंटी हो
- महिला श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त अन्य भत्ते भी मिलने चाहिए।
- जोखिम वाले उद्योग जैसे कांच सीमेंट ईट खनन व पटाखे उद्योग में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं को विशेष सुरक्षा दी जाए।
- महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इसके लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।
- एक रिपोर्ट के मुताबिक 71 प्रतिषत श्रमिकों के पास कोई लिखित अनुबंध या नियुक्ति पत्र नहीं होता है अतः इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (2011). राष्ट्रीय रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011. नई दिल्लीः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
2. विश्व बैंक. (1989). भारत में महिला श्रम भागी दारी पर रिपोर्ट. वाशिंगटन डी.सी.ः विश्व बैंक प्रकाशन।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2018). महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ एवं कार्य क्रम. नई दिल्लीः भारत सरकार।

4. सेन, अमर्त्य. (2005). विकास और स्वतंत्रता (अनुवादः सुनील कुमार). नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

5. देसाई, नीलम. (2014). ग्रामीण भारत में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार. मुंबईः लोकसत्ता पब्लिशिंग हाउस।

6. महिला आयोग. (2011). भारत में महिला अधिकार और सामाजिक स्थिति. नई दिल्लीः राष्ट्रीय महिला आयोग।

7. झा, जे. (2010). भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय. पटनाः जनशक्ति प्रकाशन।

8. त्रिपाठी, मीनाक्षी. (2012). कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ औरस माधान. लखनऊः साहित्य भवन।

9. चौधरी, प्रिया. (2017). महिला श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँः एक विश्लेषण. भोपालः शोध प्रकाशन।

10. योजना आयोग. (2011). भारत में लैंगिक समानता पर विशेष रिपोर्ट. नई दिल्लीः भारत सरकार।